

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 222/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 10-07-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

ज्ञानसिंह उर्फ जी.डी. पुत्र मूलचंद जाटव, उम्र
23 वर्ष, निवासी बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा,
जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0. 387/2015 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 222/2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 24-09-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी ज्ञानसिंह का विचारण धारा 363, 366(क) एवं 344 भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 05.04.2015 को बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा में फरियादी भागीरथ जाटव की नावालिग पुत्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी को उसकी विधि पूर्ण संरक्षक के बिना सम्मति के ले गया/बहलाकर ले गए। उस पर यह भी आरोप है कि दिनांक 05.04.2015 से दिनांक 24.04.2015 के मध्य फरियादी भागीरथ जाटव की नावालिग पुत्री जो कि 15 वर्ष की उम्र की थी को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध किया जावेगा या उसे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से उसका व्यवपहरण/अपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांकों के मध्य अभियोक्त्री को स्वेच्छया ऐसी बाधा डाली कि जिस दिशा में उसे जाने का हक था उससे वह निवारित हुई इस प्रकार उसे सदोश परिरोध कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.04.2015 को बूटी कुईया निवासी भागीरथ के द्वारा थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट की, कि दिनांक 05.04.2015 को

वह तथा उसकी पत्नी रानीबाई मजदूरी पर गेहूँ काटने चला गया था। लडकी सुमन उर्फ लाली जिसकी उम्र 18 वर्ष की वह घर पर अकेली रह गई थी। जब वह व उसकी पत्नी गेहूँ काटकर बापस घर आए तो लडकी सुमन घर पर नहीं मिली। मोहल्ले वालों को पूछा तो बताया कि लडकी सुमन तथा ज्ञानसिंह जाटव को साथ में बस स्टेण्ड बूटी कुईया पर खड़ा देखा था। ज्ञानसिंह उसके घर पर आता जाता था क्योंकि वह उसका सगा भानेज है। आरोपी उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। लडकी के पास जो मोबाइल था उसमें आईडिया का सिम जिसका नम्बर 7049581349 डली है। लडकी की तलाश करने पर न मिलने पर रिपोर्ट की गई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी ज्ञानसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/2015 अंतर्गत धारा 363, 366 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। फरियादी के पेश करने पर अपहृता की अंकसूची जप्त की गई। दिनांक 24.04.2015 को अपहृता सुमन को दस्तयाव किया गया। अपहृता के कथन लेखबद्ध कर उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किये गए जिस पर धारा 366(क) भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. विचारित किए जा रहे आरोपी ज्ञानसिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366(क) 344 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए व्यक्त किया कि अपहृता सुमन के पिता की जमीन को उसके पिता करते थे। अपहृता का पिता भागीरथ उक्त जमीन के अनावश्यक रूपए उसके पिता से मांगता था तथा अपहृता के भाई जितेन्द्र के द्वारा उसके भाई राकेश की जेब से पांच हजार रूपए निकाल लिए थे जो कि भागीरथ के द्वारा दो किशतों में बापस करने को कहा था। इस कारण जमीन के अनावश्यक रूपए हडपने एवं राकेश की जेब से निकाले हुए पैसे बापस न करना पडे इस कारण भागीरथ ने अपनी पुत्री सुमन को अपने लडके जितेन्द्र के साथ दिल्ली बुला लिया और उसके खिलाफ पुलिस थाना गोहद चौराहा से मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि वह निर्दोष है।

05. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 05.04.2015 को अपहृता/पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 05.04.2015 को बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा में

फरियादी भागीरथ जाटव की नावालिग पुत्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी को उसकी विधि पूर्ण संरक्षक के बिना सम्मति के ले गया/बहलाकर ले गया?

3. क्या दिनांक 05.04.2015 से दिनांक 24.04.2015 के मध्य फरियादी भागीरथ जाटव की नावालिग पुत्री जो कि 18 वर्ष की उम्र की थी को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए उसे इस हेतु विवश या विलुब्ध किया जावेगा या उसे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से उसका व्यवपहरण/अपहरण किया?
4. क्या उपरोक्त दिनाकों के मध्य अभियोक्त्री को स्वेच्छया ऐसी बाधा डाली कि जिस दिशा में उसे जाने का हक था उससे वह निवारित हुई इस प्रकार उसे सदोश परिरोध कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष :—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 :-

06. धारा 363 भा0दं0वि0 जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षिता से किसी व्यक्ति का व्यवपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यवपहरण को धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य है— (i) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृत्तचित्त व्यक्ति को। (ii) विधि पूर्ण संरक्षिता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है। " धारा 366क भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी नावालिग स्त्री का व्यवपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जा सकता है।

07. इस प्रकार व्यवपहरण का अपराध प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम अभियोजन को यह प्रमाणित करना होता है कि जिस अप्राप्तव्य का व्यवपहरण किया जाना बताया जा रहा है वह महिला होने की दशा में 18 वर्ष से कम उम्र की हो एवं इस तथ्य को भी प्रमाणित करना होता है कि उस अप्राप्तव्य को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया है या उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जबकि धारा 366क भा0दं0वि0 को प्रमाणित करने हेतु नावालिक महिला को विवाह करने के लिए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए विवश व विलुब्ध किया जाना प्रमाणित कराना आवश्यक है।

08. घटना जो कि दिनांक 05.04.2015 की होनी बताई गई है। घटना के समय अपहृता की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता की उम्र को प्रमाणित करने के संबंध में प्राथमिक विद्यालय जहाँ कि पीडिता भर्ती हुई थी के भर्ती रजिस्टर व इस संबंध में अन्य दस्तावेज पेश कर प्रमाणित कराए गए हो और मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडिता के संरक्षक भागीरथ

अ0सा0 1, माँ श्रीमती रानी अ0सा0 4, भाई जितेन्द्र अ0सा0 2 व व्यपहृता सुमन अ0सा0 3 के कथन कराए गए है।

09. इस संबंध में अपहृता के पिता एवं घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता भागीरथ अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से घटना के समय उसकी पुत्री अपहृता की उम्र 15 वर्ष की होनी बताई है। इस संबंध में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि प्र.पी. 1 में भी अपहृता की उम्र 15 वर्ष की होनी उल्लेख की गई है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी रानी बाई अ0सा0 4 जो कि अपहृता की माँ है के द्वारा भी घटना के समय उसकी लड़की की उम्र 15 साल की होनी अपने साक्ष्य कथन में बताई है। इस बिन्दु पर अपहृता के भाई जितेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा भी उसकी बहन की उम्र घटना के समय 15 वर्ष की होनी बताई गई है। अपहृता अ0सा0 3 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में घटना के समय उसकी उम्र 15 वर्ष की होनी बताई गई है।

10. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि फरियादी भागीरथ अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में उसके द्वारा अपने अन्य बच्चों के जन्म वर्ष बताए हैं उसके आधार पर तथा इस संबंध में पीडिता की माँ रानी बाई के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 4 में उक्त तथ्य की पुष्टि की गई है और जितेन्द्र के प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में आए हुए कथनों के आधार पर व्यपहृता का जन्म सन् 1997 का होना स्पष्ट है। इस प्रकार घटना के समय वह नावालिग न होकर उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की थी।

11. बचाव पक्ष अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी भागीरथ अ0सा0 1 उसके बड़े बच्चे जितेन्द्र व अन्य बच्चे धर्मेन्द्र व रविन्द्र के जन्म वर्ष को बता रहा है जो कि रविन्द्र का जन्म वर्ष 1994 का होना बता रहा है और वर्तमान पीडिता लाली उर्फ सुमन रविन्द्र से 03 वर्ष छोटी होना बता रहा है, किन्तु साक्षी स्पष्ट किया है कि उसे स्पष्ट रूप से इस संबंध में ध्यान नहीं है और वह नहीं बता सकता कि सुमन उर्फ लाली का जन्म कौन से वर्ष का है। निश्चित रूप से उक्त साक्षी जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का अनपढ व्यक्ति है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने प्रत्येक बच्चे की जन्मतिथि याद रख सके। इस बिन्दु पर यद्यपि पीडिता की माँ रानी बाई अ0सा0 4 के प्रतिपरीक्षण में पीडिता के जन्म के संबंध में कोई जन्मपत्री या जन्मप्रमाणपत्र उनके पास मौजूद न होना और पीडिता को दिल्ली के स्कूल में उनके वैसे ही बताने पर जन्मतिथि लिखवा देना वह बता रही है, किन्तु उक्त साक्षिया जो कि अनपढ है और अंगूठा लगाती है, मात्र उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में आए हुए उपरोक्त कथनों के आधार पर इस संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस बिन्दु पर साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 2 के कथन के आधार पर जो कि कंडिका 2 में अनुमान के आधार पर उम्र बता रहा है उसे भी आधार मानते हुए घटना के समय व्यपहृता को 18 वर्ष से अधिक उम्र की होना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में पीडिता सुमन अपना जन्म स्पष्ट रूप से सन् 2000 का होना बताई है और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वह विद्यालय में पढी भी है।

12. इस प्रकार व्यपहृता के पिता, माँ एवं भाई तथा स्वयं व्यपहृता के द्वारा अपने साक्ष्य

कथन में घटना के समय उसकी उम्र 15 साल की होनी बताई है। पीडिता की उम्र के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

13. इस प्रकार उम्र के अवधारण में सर्वप्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख का प्रमाणपत्र विचार में लिए जाने की अपेक्षा उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई है। निश्चित तौर से इस संबंध में आयु के निर्धारण बावत् जो प्रावधान किये गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पीडिता की उम्र के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

14. पीडिता की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा नगर निगम विद्यालय रामेश्वरी नेहरू नगर करोल बाग नई दिल्ली के प्रधानाचार्य श्रीमती परवीन शक्करवाल अ0सा0 9 का परीक्षण कराया गया है। उक्त साक्षिया के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोक्त्री के पिता भागीरथ के द्वारा पीडिता के विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदनपत्र मय शपथपत्र के भरकर देना जिसकी मूल प्र.पी. 7 एवं फोटोकॉपी प्र.पी. 7सी होना और उसके साथ घोषणापत्र भी पेश किया था जो प्र.पी. 8 है जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 8सी है। उक्त आवेदनपत्र के आधार पर पीडिता का एडमिशन दिनांक 11.07.2006 को क्रमांक 2737 पर दिया गया था जो कि प्र.पी. 9 है जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 9सी है जिसमें कि तत्कालीन विद्यालय इन्चार्ज शशीवाला के हस्ताक्षर हैं। उक्त छात्रा का विद्यालय प्रवेश पंजी रिकार्ड के अनुसार जन्मदिनांक 05.01.2000 अभिलेख में दर्ज है। मूल पंजी प्र.पी. 10 है जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 10सी है। उक्त छात्रा के द्वारा प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया गया था, छात्रा के द्वारा कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसके पिता ने विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र हेतु आवेदनपत्र दिया था जो प्र.पी. 11 है और विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र जारी किया गया जो प्र. पी. 12 है जिसकी प्रति प्र.पी. 12सी है।

15. साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि इस संबंध में उसके द्वारा दी गई साक्ष्य किसी प्रकार से प्रतिकूलित मानी जा सके। साक्षिया इस सुझाव से साफतौर से इन्कार की है कि विद्यालय के द्वारा सभी दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किए गए हैं। उक्त साक्षिया जो कि विद्यालय की इन्चार्ज है और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें कि पीडिता के उनके विद्यालय में भर्ती होने के संबंध में एवं विद्यालय रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि 05.01.2000 प्रमाणित है।

16. उपरोक्त संबंध में व्यपहृता की घटना के समय उम्र के संबंध में उसके मौखिक

साक्ष्य की सम्पुष्टि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश जो कि विद्यालय के कार्य के सामान्य अनुक्रम में रखी जाती है और जो प्रतिखण्डित भी नहीं हुई है उसके आधार पर व्यपहृता की जदस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है। निश्चित तौर से विद्यालय में प्राथमिक परीक्षा में प्रवेश के अनुसार व्यपहृता की जन्मतिथि दिनांक 05.01.2000 की है, जबकि घटना दिनांक 05.04.2015 की है। उक्त दिनांक को पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर वह नावालिग होना प्रमाणित पाई जाती है।

17. इस प्रकार घटना के समय पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम होकर उसके नावालिग होने का तथ्य प्रमाणित होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त नावालिग को उसकी विधि पूर्ण संरक्षिता से ले जाया गया अथवा बहलाकर ले जाया गया? क्या व्यपहृता को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश बिलुब्ध करने अथवा विवाह करने के आशय से ले जाया गया? क्या पीडिता को दस दिन से अधिक अवधि के लिए सदोष परिरोध कारित किया?

18. उपरोक्त संबंध में घटना के फरियादी भागीरथ अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि पीडिता सुमन उर्फ लाली उसकी पुत्री है। वर्ष 2015 में जून के महीने की बात है वह और उसकी पत्नी गेहूँ के फसल काटने के लिए गए थे। घर पर उनकी पुत्री पीडिता सुमन उर्फ लाली अकेली थी। दिन के करीब तीन बजे घर पर लौटकर आए तो उनकी पुत्री सुमन उर्फ लाली नहीं मिली। उसकी आस पड़ोस व रिस्तेदारी में तलाश की, किन्तु कोई पता नहीं चला तब दूसरे दिन घटना के संबंध में रिपोर्ट की थी जो कि आरोपी ज्ञानसिंह का उनके यहाँ आना जाना था इस आधार पर आरोपी ज्ञानसिंह के द्वारा लडकी को ले जाने की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र. पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। 10-15 दिन बाद उसकी लडकी का फोन आया था और उसने बताया था कि वह अहमदाबाद के पास में है उसे ले जाओ। फिर वह और उसका लडका अहमदाबाद पहुँचे वहाँ उसे उसकी लडकी मिली थी उसको घर लेकर आए थे। साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि उसकी ने उसे बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तो ज्ञानसिंह घर पर आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और जबरदस्ती उसे लिवाकर ले गया। थाने में पुलिस ने लडकी को दस्तयाव कर दस्तयावी पंचनाम प्र.पी. 3 बनाया जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। उसके बाद पुलिस ने लडकी को उसे सुपुर्द किया था, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 है। लडकी को लेकर पुलिस न्यायालय में आई थी और न्यायालय में भी उसका कथन हुआ था।

19. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रानी बाई अ0सा0 4 जो कि अपहृता की माँ है के द्वारा भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि लडकी की तलाश की थी उसका कोई पता नहीं चला था और उनके घर पर उनका भानेज ज्ञानसिंह जिसका कि मकान उनके घर के बगल में है उस पर शक होना जो कि ज्ञानसिंह भी अपने घर पर नहीं था। लडकी को गुजरात से घर लाया गया था और आने पर लडकी ने उसे बताया था कि आरोपी ज्ञानसिंह ने उसे कट्टा दिखाकर डरा धमका कर अपने साथ जाने के लिए कहा था जिस डर के कारण वह

ज्ञानसिंह के साथ चली गई थी और आरोपी उसे पहले ग्वालियर में एक दोस्त के यहाँ लेकर गया और शाम को ट्रेन से गुजरात अहमदाबाद ले गया। लडकी के आने पर उसे थाने ले गए थे और वयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष भी लाई थी। इस संबंध में साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 2 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा भी सुमन के घर से चले जाने के बारे में पता चलने पर दिल्ली से घर आना और उसकी बहन के द्वारा फोन किया गया था कि उसे ले जाओ ज्ञानसिंह उसे कमरे में बंद कर चला जाता है। फिर उसे लाए थे तथा पुलिस के द्वारा दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया था।

20. घटना की पीडिता/अपहृता सुमन अ0सा0 3 आरोपी की पहचान करते हुए बताई है कि आरोपी उसकी बुआ का लडका है। घटना के समय वह अपने घर पर अकेली थी, उसके माता पिता गेंहूँ काटने के लिए गए थे। आरोपी ज्ञानसिंह आया और उससे कहा था कि उसके साथ चलो। उसने जाने से मना किया तो आरोपी ने उसके घर वालों को मारने की धमकी दी तब उसने डर के कारण ज्ञानसिंह के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। आरोपी ज्ञानसिंह उसे कट्टा रखकर अपने साथ ले गया। आरोपी ज्ञानसिंह पहले उसे ग्वालियर ले गया और ग्वालियर से उसे मुरैना ले गया, मुरैना से आगरा फोर्ट ले गया, वहाँ से ट्रेन में बिठाकर अहमदाबाद के पास मेहसाना कस्बा पहुँचे। मेहसाना में आरोपी के दोस्त का घर था वहीं पर 15-16 दिन तक रही थी। उसके हाथ में जैसे ही फोन आया उसने अपनी बहन को फोन किया था फिर उसके पापा ने उसे फोन किया और उसी फोन के सम्पर्क से वह स्टेशन पहुँच गई थी। स्टेशन से उसके पापा व भाई जितेन्द्र उसे घर ले आए थे। फिर गोहद चौराहा थाने पहुँचे थे और पुलिस के द्वारा दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया था तथा उसे उसके पिता को सुपुर्द किया था। सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 है जिनके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे न्यायालय में कथन करने के लिए भी लाया गया था जहाँ उसके कथन हुए थे और पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गंगासिंह अ0सा0 5 पक्षद्रोही रहा है और उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

21. साक्षी उपनिरीक्षक एम.एस.जादौन अ0सा0 7 जिन्होंने कि फरियादी भागीरथ की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी 15 साल की बच्ची को आरोपी ज्ञानसिंह बहला फुसलाकर ले गया है अपराध क्रमांक 60/2015 धारा 363, 366 भा0द0वि0 का पंजीबद्ध किया था जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रकरण के विवेचक रहे साक्षी ए.एस.आई सुरेश मिश्रा अ0सा0 6 के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार करना और फरियादी भागीरथ तथा साक्षी रानीबाई के कथन दिनांक 06.04.2015 को उने बताए अनुसार लेखबद्ध करना और उक्त साक्षीगण के मजीद कथन दिनांक 11.06.2015 को उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। प्रकरण के अग्रिम विवेचक विदुराज सिंह तोमर अ0सा0 8 के द्वारा अग्रिम विवेचना के दौरान अपहृता सुमन उर्फ लाली को दिनांक 24.04.2015 को दस्तयाव कर दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार करना और उसी दिनांक को पीडिता के कथन लेखबद्ध करना बताया है।

22. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी मूलचंद ब0सा0 1 का कथन कराया गया है जो

कि आरोपी का पिता है। उक्त बचाव साक्षी के द्वारा फरियादी भागीरथ के घटना के समय ग्राम बूटी कुईया में न होकर दिल्ली में होना और ग्राम बूटी कुईया स्थित उसकी पांच बीघा जमीन की देख-भाल उसके द्वारा किया जाना और घटना के पूर्व साल फसल न होने से फसल का कोई पैसा उसे न दे पाना और इस कारण भागीरथ के द्वारा उसे विवाद कर झगडा करना और उससे रंजिश रखना बताया है। इसके अतिरिक्त बचाव साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना के करीब 6 महीने पूर्व भागीरथ के लडके जितेन्द्र के द्वारा उसके लडके राजेश की जेब से पांच हजार रुपए निकाल लेना जिसे कि भागीरथ और उसकी पत्नी ने बापस करने के लिए कहा था, किन्तु उनके द्वारा राशि बापस नहीं की गई और थाना गोहद चौराहा से मिलकर झूठी रिपोर्ट लिखा दी, जबकि भागीरथ ने स्वयं अपनी लडकी को दिल्ली भेज दिया और बाद में उसे दिल्ली से लाकर रिपोर्ट लिखा दी।

23. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के संबंध में साक्षियों के कथनों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उन पर विचार किया जाना और उनकी विश्वसनीयता व साक्ष्य मूल्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

24. घटना का फरियादी भागीरथ जो कि अपहृता सुमन का पिता है एवं उसका संरक्षक भी है, के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि करीब 03:00 – 03:30 बजे जब वह घर आया था तो उसे घर सूना मिला था और घर पर ताला लगा था। उसने घर का ताला खोला था, चाबी घर के बाहर पड़ी मिली थी। इसके बाद लडकी को मोहल्ले में आस पडोस में ढूंढा था तथा मोहल्ले वालों एवं रिस्तेदारों के यहाँ पूछताछ की थी। लडकी के गुम जाने की रिपोर्ट उसी दिन जिस दिन वह गुमी थी उस दिन न लिखाने के संबंध में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें लग रहा था कि शायद लडकी शाम या रात तक आ जाएगी। रिपोर्ट में आरोपी ज्ञानसिंह का नाम उसने शंका के आधार पर लिखाना भी स्पष्ट किया है, क्योंकि आरोपी का उनके यहाँ आना जाना था। प्रतिपरीक्षण कंडिका 14 में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि लडकी के जाने के 10-15 दिन बाद उसने उसकी बड़ी लडकी सुनीता के मोबाइल पर सूचित किया था कि वह अहमदाबाद के पास में है उसे ले जाओ। उसने उक्त बात पुलिस वालों को बताई थी, किन्तु पुलिस वाले साथ नहीं गए थे और उन्होंने कहा था कि आप ही लेकर आओ। उसके बाद वह और उसका लडका लडकी को अहमदाबाद से लेकर आए थे जो कि वह रेल्वे स्टेशन पहुँच गए थे और लडकी वहीं पर आ गई थी। साक्षी के द्वारा इस सुझाव को साफतौर से इन्कार किया है कि आरोपी ज्ञानसिंह के विरुद्ध प्र.पी. 1 की रिपोर्ट खेती का हिसाब न होने के कारण एवं पांच हजार रुपए जो कि उसके पुत्र ने आरोपी के भाई की जेब से निकाल लिए थे वह न देना पडे इस कारण उसके द्वारा रिपोर्ट की गई है।

25. इस प्रकार उक्त साक्षी भागीरथ अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में यद्यपि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 1 व प्र.डी. 2 में लडकी सुमन को बूटी कुईया बस स्टैण्ड के पास लोगों के द्वारा खडा देखने के तथ्य का लोप आया और इसी प्रकार पुलिस को दिए गए

कथन में सुमन के द्वारा उसे यह बताना कि आरोपी ने उसकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया था का भी लोप है, किन्तु मात्र उक्त आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। छोटी मोटी बिसंगतियाँ जो कि तात्विक प्रकार की नहीं है साक्ष्य के दौरान आनी स्वभाविक है। इस प्रकार साक्षी भागीरथ के इस संबंध में किया गया कथन किसी प्रकार से प्रतिकूलित या प्रतिखण्डित नहीं होता है।

26. इस संबंध में अभियोजन साक्षी रानी बाई अ0सा0 4 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में बताए गए तथ्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होते हैं। यद्यपि साक्षिया के प्रतिपरीक्षण में कतिपय प्रकार का विरोधाभास एवं बिसंगतियाँ आई है, किन्तु मात्र इस आधार पर साक्षिया के इस संबंध में किये गए कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में साक्षिया स्पष्ट रूप से बताई है कि जब उसकी लडकी लौटकर आई थी तो लडकी ने घटना की सम्पूर्ण जानकारी दी थी। साक्षिया ने भी इस सुझाव से इन्कार किया है कि फसल के हिसाब एवं पैसे देने की बात को लेकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी। ऐसी दशा में साक्षिया रानी बाई जो कि लडकी के घर से गुम जाने के संबंध में और लडकी के द्वारा आने पर उसे आरोपी के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताई है। उक्त साक्षिया के कथन से भी इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

27. अभियोजन प्रकरण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी जो कि घटना की अपहृता/पीडिता सुमन अ0सा0 3 है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से उसने आरोपी के द्वारा उसे अपने साथ डरा धमका कर ले जाने के संबंध में मुख्य परीक्षण में किए गए कथन की पुष्टि की है। इस संबंध में साक्षिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी उसे कहीं नहीं ले गया था और इस सुझाव से भी इन्कार की है कि उसके भाई जितेन्द्र के द्वारा ज्ञानसिंह के भाई जितेन्द्र की जेब से चुराए गए 5000/- रूपए न देना पड़े और उसके पिता की खेती का हिसाब हो जाए इसलिए आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है।

28. घटना की व्यपहृता के प्रतिपरीक्षण के दौरान आए हुए विरोधाभास एवं विसंगतियों के संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि साक्षिया के 161 दं.प्र.सं. एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन तथा न्यायालय में हुए कथनों में तात्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है जिससे उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यद्यपि साक्षिया के द्वारा कथनों में उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में कतिपय बिन्दुओं पर जिसमें कि मुख्य रूप से घटना के दिनांक के संबंध में और उसके गांव बूटी कुईया से ग्वालियर बस से जाने के संबंध में और आरोपी के द्वारा अहमदाबाद ले जाने के संबंध में बिसंगति आई है, किन्तु उक्त बिसंगतियाँ तात्विक प्रकार की होनी नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार की बिसंगतियाँ साक्ष्य के दौरान स्वभाविक रूप से आ सकती है। जहाँ तक उसे अहमदाबाद एवं मेहसाना ले जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता

के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसे अहमदाबाद के पास स्थित कस्बा मेहसाना में ले जाया गया था, इस परिप्रेक्ष्य में मात्र उक्त बिसंगतियों के आधार पर साक्षिया के सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

29. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि अपहृता जो कि आरोपी के द्वारा उसे ले जाना बता रही है, जबकि उसके कथन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं आरोपी के साथ गई है उसे ले जाने अथवा बहला फुसलाकर ले जाना कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस संबंध में उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि व्यपहृता आरोपी के साथ ग्वालियर तक जाना और ग्वालियर से मुरैना तथा आगरा फोर्ट और वहाँ से मेहसाना पहुँचना बता रही है जो कि बस एवं ट्रेन में सफर किया है और उसके पास अवसर होने के पश्चात् भी किसी को यह नहीं बताया गया है कि उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा यह व्यक्त किया कि यदि पीडिता आरोपी के साथ गई भी तो वह अपनी इच्छा से गई थी आरोपी के द्वारा उसे किसी प्रकार से ले जाने का कृत्य नहीं किया गया है, जो कि स्वयं पीडिता के उक्त बताए गए अस्वभाविक व्यवहार से भी स्पष्ट है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **कृष्ण कुमार मलिक वि० स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2877** पेश किया गया है, जिसमें कि व्यपहृता के अस्वभाविक व्यवहार को आधार मानते हुए उसे सहमत पक्षकार होना माननीय न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है।

30. इस संबंध में यद्यपि पीडिता के द्वारा बस और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म पर पहुँचने आदि के संबंध में बताया है, किन्तु फरियादिया के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण दोनों में स्पष्ट किया है कि आरोपी के द्वारा उसे कट्टा दिखाया गया था और उसे माता पिता को मारने की धमकी दी थी इस कारण उसके द्वारा किसी को उसे ले जाने वाली बात नहीं बताई थी। व्यपहृता जो कि घटना के समय 18 वर्ष से कम उम्र की है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरान्त कहीं भी ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वह स्वयं आरोपी के साथ गई हो, बल्कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा उसे ले जाने के संबंध में जो कि उसे धमकी देकर साथ में ले जाना बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि पीडिता अपनी इच्छा से या स्वतः आरोपी के साथ गई हो। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के समय व्यपहृता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी और इस प्रकार वह सहमति देने में भी असमर्थ थी और उसकी सहमति का कोई अर्थ भी नहीं होता। घटना के समय उसका संरक्षक उसका पिता था और पिता की संरक्षिता में ही वह रहती थी और उसके पिता की विधि पूर्ण संरक्षिता से ही आरोपी के द्वारा उसे ले जाया जाना प्रमाणित होता है।

31. जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण जो कि विधि पूर्ण संरक्षिता से व्यपहरण के अपराध से संबंधित है एवं व्यपहरण के अपराध में व्यपहृता की सहमति का कोई अर्थ नहीं होता है। व्यपहरण का अपराध उसी समय पूर्ण हो जाता है जिस समय व्यपहृता को विधि पूर्ण संरक्षिता से हटा लिया जाता है। ऐसी दशा में यदि व्यपहृता रास्ते में उसे मौका मिलने के पश्चात् चिल्लाई नहीं व किसी को उसे जबरदस्ती ले जाने

के संबंध में नहीं बताया गा है तो इससे कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से उसके आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

32. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 जो कि भागीरथ जाटव के द्वारा दिनांक 06.04.2015 को थाना गोहद चौराहा में दर्ज कराई गई है। उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध करना रिपोर्ट लेखक महेशसिंह जादौन अ0सा0 7 के द्वारा प्रमाणित किया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट यद्यपि घटना के एक दिन बाद लिखाई गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद में दर्ज कराई गई है, जबकि इस संबंध में फरियादी के द्वारा लडकी को तलास करने के बाद रिपोर्ट लिखानी स्पष्ट रूपे बताई है। स्वभाविक रूप से पहले गुम व्यक्ति की तलास की जाती है और जब मिलने की संभावना नहीं रहती है तभी उसकी रिपोर्ट साधारणतः की जाती है। ऐसी दशा में यदि रिपोर्ट अगले दिन की गई है तो उससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी स्पष्ट रूप से आरोपी के उनके द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाना के संबंध में उल्लेख आया है। पीडिता के बापस आने के पश्चात् वह थाना गोहद चौराहा में उपस्थित होने पर उसकी दस्तयाबी कर दस्तयावी पंचनामा प्र. पी. 3 बनाया गया था जो कि बिदुराजसिंह तोमर अ0सा0 8 के द्वारा प्रमाणित किया है तथा पीडिता के कथन लेखबद्ध करना बताया है। पीडिता के पिता भागीरथ ने भी प्र.पी. 3 के अनुसार पीडिता की दस्तयावी और प्र.पी. 4 के अनुसार उसे सुपुर्दगी पर दिया जाना स्पष्ट रूप से बताया है। इस प्रकार उक्त आधारों पर भी आरोपी के द्वारा व्यपहृता को ले जाने की पुष्टि होती है।

33. प्रकरण के प्रारंभिक विवेचक सुरेश मिश्रा अ0सा0 6 जिन्होंने कि घटनास्थल का नक्शामौका बनाया है और फरियादी भागीरथ और साक्षी रामबाबू, जितेन्द्र और गंगासिंह के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। उक्त विवेचनाधिकारी के द्वारा फरियादी से हितबद्ध होकर या आरोपी पक्ष से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विवेचना की कार्यवाही की गई हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है।

34. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में यह आधार जो कि आरोपी के पिता के द्वारा व्यपहृता के पिता भागीरथ की जमीन की देख रेख करना और इस संबंध में व्यपहृता के पिता के द्वारा मन माने रूप से पैसे मांगे जाना। इसके अतिरिक्त यह आधार कि व्यपहृता के भाई जितेन्द्र ने उसके पुत्र राकेश की जेब से 5000/- रूपए निकाल लिए थे जो कि फरियादी ने किस्तों में बापस करने के लिए कह दिया था, किन्तु उसके द्वारा कोई रूपए बापस नहीं किए गए और अपनी लडकी के जरिए वर्तमान रिपोर्ट करा दी गई। इस संबंध में बचाव पक्ष के साक्षी मूलचन्द्र ब0सा0 1 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में उक्त आधारों का अभिकथन करते हुए उसके लडके आरोपी को रंजिशन झूठा लिप्त किया जाना बताया है और यह अभिकथन किया है कि फसल के हिसाब को मांगते हुए एवं फरियादी के लडके जितेन्द्र के द्वारा उसके लडके राकेश की जेब से निकाले गए 5000/- रूपए न देना पड़े इस कारण झूठी रिपोर्ट की गई है।

35. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया उपरोक्त आधार और इस संबंध में प्रस्तुत साक्षी मूलचन्द्र के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा भागीरथ की जमीन को जोतने के संबंध में अनावश्यक रूप से पैसे मांगने अथवा उसे लडके की जेब से फरियादी के पुत्र के द्वारा चोरी कर पैसे निकालने के संबंध में कहीं कोई भी रिपोर्ट या सूचना उक्त बचाव साक्षी के द्वारा कहीं दी जानी दर्शित नहीं होती है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा फरियादी भागीरथ व्यपहृता सुमन व उसकी पत्नी रानी बाई तथा जितेन्द्र को इस आशय का सुझाव दिया गया है, किन्तु उनके द्वारा साफतौर से इससे इन्कार किया गया है। ऐसी दशा में बचाव साक्षी मूलचन्द्र के द्वारा अपने पुत्र को बचाने के आशय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया जा रहा हो ऐसा परिलक्षित होता है। यह भी अस्वभाविक प्रतीत होता है कि कोई पिता मात्र इस आधार पर कि उसका कोई हिसाब किताब बकाया है और पैसे के लेन देन का कोई हिसाब है इस कारण से अपनी पुत्री को माध्यम बनाते हुए झूठी रिपोर्ट कराए।

36. व्यपहृता को आरोपी के द्वारा उसकी विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ले जाने का तथ्य यद्यपि उक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित हुआ है, किन्तु व्यपहृता को आरोपी के द्वारा विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या विलुब्ध किया जाएगा, इस संबंध में व्यपहृता सुमन के कथन या अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर इस संबंध में कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। व्यपहृता सुमन अ0सा0 3 अपने मुख्य परीक्षण में बताई है कि मेहसाना आरोपी अपने दोस्त के यहाँ उसे ले गया था और वह उसके दोस्त की पत्नी के साथ ही रहती थी। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षिया बताई है कि मेहसाना में करीब 15-20 दिन रुकी थी और उसने ज्ञानसिंह से उक्त दौरान यह नहीं पूछा था कि वह उसे वहाँ क्यों ले आया है और यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानसिंह मेहसाना में जहाँ वह रहती थी वहाँ वह नहीं रहता था, बल्कि अपने दूसरे दोस्त के यहाँ वह रहता था। इस बिन्दु पर साक्षी भागीरथ अ0सा0 1 जो कि फरियादी है उसके द्वारा पुलिस कथन प्र.डी. 1 व 2 में उसकी लडकी को आरोपी के द्वारा विवाह करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में पुलिस को दिए गए कथन से इन्कमार किया है। अभियोजन साक्षियों के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में मात्र प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कि आरोपी व्यपहृता को उसकी विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ले गया यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आरोपी के द्वारा उसका व्यपहरण अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या विलुब्ध करने अथवा यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या विलुब्ध किया जाएगा या उसे विवाह करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण किया गया हो। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध धारा 366ए भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

37. आरोपी के द्वारा व्यपहृता को दस दिन या उससे अधिक अवधि के लिए सदोष परिरोध करने के संबंध में लगाए गए आरोप का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि व्यपहृता अ0सा0 3 के कथन में केवल यह आया है कि मेहसाना में आरोपी के दोस्त का

घर था और वहाँ र वह 15-20 दिन तक रही थी जो कि आरोपी के दोस्त की पत्नी के साथ रहती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि उसका पिता व भाई के अहमदाबाद पहुँचने पर उनके पास स्टेशन तक खुद पहुँची थी जिसे कि उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है और उसके पिता भागीरथ अ०सा० 1 और भाई जितेन्द्र अ०सा० 2 के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। व्यपहृता के कथन में कहीं भी आरोपी के द्वारा उसे कमरे में बंद कर देना तथा उसे कहीं भी जाने से रोकने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आया है और पीडिता के द्वारा अपने कथन में यह भी बताया है कि ज्ञानसिंह मेहसाना में जहाँ वह रहती थी वहाँ नहीं रहता था दूसरे दोस्त के यहाँ रहता था। ऐसी दशा में व्यपहृता को किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया गया हो ऐसा आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 344 भा०दं०वि० का अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

38. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा व्यपहृता जो कि अपने पिता भागीरथ की विधि पूर्ण संरक्षण में थी और घटना के समय वह 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी उसे उसके संरक्षक की विधि पूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया जो कि उसे बहला फुसलाकर ले जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। यद्यपि आरोपी के द्वारा पीडिता को दस दिन की अवधि तक सदोष परिरोध में रखने अथवा उसे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या विलुब्ध किया जाएगा के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता आरोपी के विरुद्ध सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

39. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आरोपी ज्ञानसिंह को धारा 366ए, 344 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित न होने से उसे उक्त धाराओं के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, जबकि आरोपी को व्यपहृता के व्यपहरण के संबंध में धारा 363 भा०दं०वि० के अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

40. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला भिण्ड (म.प्र.)

पुनश्चयः—

41. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया आरोपी के द्वारा किया गया अपराध साधारण प्रकार का नहीं है, बल्कि सामाजिक अपराध है ऐसी दशा में विधि द्वारा प्रावधानिक अधिकतम दण्ड अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने

उनका निवेदन है कि आरोपी नव युवक है उसकी कोई पूर्व की कोई दोषसिद्ध प्रमाणित नहीं है। आरोपी लम्बे समय से अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दण्ड से दंडित करने का निवेदन किया है तथा वैकल्पिक रूप से आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

42. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी ज्ञानसिंह के विरुद्ध धारा 363 का आरोप प्रमाणित होना पाया गया है। उपरोक्त प्रमाणित अपराध सामान्य श्रेणी का नहीं है, बल्कि इस प्रकार का अपराध जो कि पूरे समाज की नैतिकता को प्रभावित करता है तथा अपराध आरोपी के द्वारा अपनी सगी मामा की लड़की के साथ कारित किया गया है। ऐसी दशा में अपराध की प्रकृति को देखते हुए आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

43. विचारोपरांत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी ज्ञानसिंह को धारा 363 भा0दं0वि0 हेतु 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाए।

44. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 5000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप व्यपहृता को दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है।

45. आरोपी के द्वारा प्रकरण की जाँच, अनुसंधान, विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा से मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र प्रथक से संलग्न किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)